राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS//Electricity/ 2209   दिनांक 11/8/2026

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का **IFMS 3.0** के माध्यम से भुगतान हेतु **K No.** के साथ मैपिंग करवाने बाबत।

संदर्भः– इस विभाग का पूर्व परिपत्र क्रमांक 5219–418 दिनांक 15.06.2022 एवं संशोधन दिनांक 20.07.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के द्वारा राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय के बिलों का भुगतान ऑटो एफवीसी बिल के माध्यम से किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी द्वारा विभागीय बजट मद (जिससे विद्युत व्यय के बिल का भुगतान किया जाता है) की मैपिंग 'K' नम्बर के साथ की जानी थी।

चूंकि अब पे–मैनेजर सिस्टम बन्द हो चुका है तथा समस्त एफवीसी बिलों का भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राजकीय कार्यालयों के विद्युत व्यय बिलों का भुगतान भी शामिल है। अतः विभाग के अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को राजकीय कार्यालयों के विद्युत कनेक्शन के 'K' नम्बर के साथ बजट मद की मैपिंग IFMS 3.0 पर किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध है ताकि IFMS 3.0 के माध्यम से Auto विद्युत व्यय बिल जनरेट होकर भुगतान हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध हो सके।

भवदीय

11/8/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS//Electricity/ 2210–2222 दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
8. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड–जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।
9. संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, समस्त।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक **(IFMS)**